न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :- सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

अनुवान जगदीश बनाम धोला देवी आदि

वाद संख्या 191 वर्ष 2023

निर्णय दिनांक :— 13.06.2024

1. जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादी —

बनाम

1. धोला देवी पत्नी शीशपाल जाति नायक निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. मोहनराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. रामववश पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. विनोद पत्नी दलीप कुमार जाति नायक निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
5. सुभाष चन्द्र पुत्र बजरंग जाति नायक निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

— प्रतिवादीगण —

7. मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरू

— गौणप्रतिवादी —

उपस्थिति :—

1. **श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादी**
2. **राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 6**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने व विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

निवेदन किया हैं। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हक हिस्सा तक की भूमि तक का होना पाया गया है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने व वकील उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार करने पर यह दावा बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि ख.नं. 1470/362 तादादी 02.0991 हैक्टेयर, ख.नं. 1472/847 तादादी 0.2908 हैक्टेयर, ख.नं. 991/362 तादादी 02.5290 हैक्टेयर कुल तादादी 04.9189 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है कि :–

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 991/362 मीन तादादी 0.2529 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग लाल से दर्शाया गया है। वादी जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

(2) बाकी मान्दा बदस्तुर जमाबन्दी रहेगी। जिन पक्षकारों की कृषि बैंक रहन हैं वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)